

EASTERN RAILWAY

No. CPO/SC/SAS/Pol / Pt.II

Kolkata, the 20th Nov., 2017.

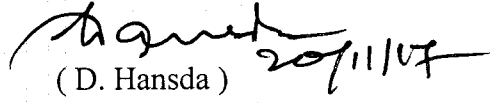
ALL CONCERNED

Sub: Recognition of Basketball Federation of India - regarding

Enclosed please find herewith the copy of Railway Board's letter No. 2016/E(Sports)/4(1)/6/BFI Status dated 11/09/2017 (RBE No. 126/2017 – Clarification/Corrigendum No. 83) on the subject mentioned matter.

In this regard it may be mentioned that, copy of Railway Board's earlier letter dated 22/08/2016, as referred in Board's present letter, was communicated to all concerned vide CPO/CCC's Serial No. 124/16.

The above letter is forwarded herewith for information, guidance and necessary action please.



(D. Hansda)

Sr. Personnel Officer/ RP
for Principal Chief Personnel Officer

Copy of Railway Board's letter No. 2016/E(Sports)/4(1)/6/BFI Status dated 11/09/2017 (RBE No. 126/2017 – Clarification/Corrigendum No. 83) addressed to GM(P) All Zonal Railways & Others.

विषय: Recognition of Basketball Federation of India- regarding.
सन्दर्भ: Board's letter of even number dated 22.08.2016 (RBE No. 06/2016).

Vide Board's letter under reference dated 22.08.2016 (RBE No. 06/2016) it was, inter-alia, decided to derecognize Basketball Federation of India w.e.f. 28.03.2015 since this Federation did not have the necessary recognition of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

2. Ministry of Youth Affairs and Sports vide their letter and order No. 16-14/2009-SP-1 (Vol. II) dated 26.07.2017 has recognized Basketball Federation of India led by Shri K. Govindaraj as President of the National Sports Federation (NSF) for the sport of basketball in India provisionally for one year w.e.f. 26.07.2017.

3. In line with the decision of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Railway Sports Promotion Board, for the game of Basketball, accords its recognition to the Basketball Federation of India. Participation and medal winning performance in the events organized by the above Federation after 26.07.2017 may be considered for recruitment, incentives and all other establishments related issues, as per Board's extant policy instructions.

4. Please acknowledge receipt of this letter.



(Bhaskar Roy Choudhury)

Dy. Director/ Estt.(Sports)

पूर्व रेलवे

सं. सीपीओ/एससी/एसएएस/पोल/पार्ट. II

कोलकाता, दिनांक 20th नवम्बर, 2017

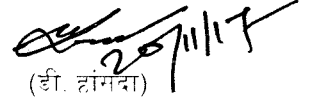
सर्वसंबंधित

विषय: बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संलग्न रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2016/ई(स्पोर्ट्स)/4/(1)/6/वीएफआई स्टेटस दिनांक 11/09/2017 (आरबीई सं. 126/2017 – स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 83) की प्रतिलिपि प्राप्त करें।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि रेलवे बोर्ड का पूर्ववर्ती पत्र दिनांक 22/08/2016 यथामंदर्भित बोर्ड का वर्तमान पत्र की प्रतिलिपि सर्वसंबंधित को मुकाधि/कोलकाता का क्रमिक संख्या 124/16 के तहत मंजूर किया गया था।

उपर्युक्त पत्र सूचना, दिशानिर्देश एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एतद्वारा अग्रसारित की जाती है।



(डी. हासमता)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/आरपी
कृते प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

सभी क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधक(कार्मिक) एवं अन्य को संबोधित रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2016/ई(स्पोर्ट्स)/4/(1)/6/वीएफआई स्टेटस दिनांक 11/09/2017 (आरबीई सं. 126/2017 – स्पष्टीकरण/शुद्धिपत्र सं. 83) की प्रतिलिपि।

विषय: भारत के बास्केटबॉल फेडरेशन की मान्यता के बारे में।

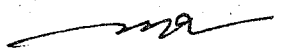
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 22.08.2016 का समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 06/2016)

बोर्ड के दिनांक 22.08.2016 के संदर्भाधीन पत्र (आरबीई सं. 06/2016) के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि भारत के बास्केटबॉल फेडरेशन की मान्यता को 28.03.2015 से समाप्त किया जाए, क्योंकि इस फेडरेशन के पास युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय की आवश्यक मान्यता नहीं थी।

2. युवा मामले और खेल-कूद मंत्रालय ने दिनांक 26.07.2017 के अपने पत्र और आदेश संख्या 16-14/2009-एसपी-1(वॉल. II) के तहत भारत में बास्केटबॉल के खेलकूद के लिए राष्ट्रीय खेलकूद फेडरेशन (एनएसएफ) के अध्यक्ष श्री के.गोविन्दराज के नेतृत्व वाले भारत के बास्केटबॉल फेडरेशन को 26.07.2017 से एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से मान्यता दे दी है।

3. युवा मामले और खेलकूद मंत्रालय के निर्णय की तर्ज पर रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड ने बास्केटबॉल खेल के लिए भारत के बास्केटबॉल फेडरेशन को अपनी मान्यता प्रदान कर दी है। 26.07.2017 के बाद उपर्युक्त फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने और पदक जीतने वाले प्रदर्शन को बोर्ड की मौजूदा नीति के अनुदेशों के अनुसार भर्ती, प्रोत्साहन और अन्य सभी स्थापना संबंधी मुद्दों के लिए विचार किया जा सकता है।

4. कृपया इस पत्र की पावती दें।



(भास्कर रॉय चौधरी)
उपनिदेशक/स्था. (खेलकूद)